[20/12/2024]

~~प्रश्न सं. [क्र. 1612]~~

विधानसभा सत्र दिसम्बर 2024
तारांकित प्रश्न क्रमांक–1612 द्वारा श्री मोहन सिंह राठौर
उत्तरांश 'क' की जानकारी का ~~परिशिष्ट–दो~~ परिशिष्ट - एक

<u>कार्यालय कलेक्टर जिला–ग्वालियर, म0प्र0</u>

कमांक–क्यू/अपर कले./स्टेनो/2024 –143 ग्वालियर,दिनांक 02 अगस्त 2024

//संशोधित आदेश//

विषयान्तर्गत माननीय विधायक जी विधानसभा–18 द्वारा आवेदन पत्र में अवगत कराया गया है कि ग्राम घाटीगांव नयापुरा,कांसेर,करई,आरोन,पवा,बन्हेरी के आदिवासी ग्रामवासियों के द्वारा कई वर्षो से उक्त भूमि पर काबिज है एवं आदिवासी समाज के विभिन्न कार्यकमों के आयोजन हेतु वन भूमि का उपयोग आदिवासीयों के द्वारा किया जा रहा है,जिसके संबंध में पट्टे भी उपलब्ध है।

इस भूमि पर ग्वालियर संभाग के सभी आदिवासी सहरिया,वनवासी ग्रामवासियों द्वारा पूजा अर्चना तथा धार्मिक आयोजन विगत कई वर्षो से किये जा रहे है। परंन्तु वर्तमान में उक्त भूमि पर आदिवासीयों का अतिकमण बताते हुए वन विभाग द्वारा उनको हटाने की प्रकिया जारी है। जिसमें आदिवासियों को अधिक समस्या हो रही है।

उक्त शिकायत की वस्तुस्थिति के बारे में जॉच करने एवं उचित व्यवस्था हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये निम्नानुसार संयुक्त जॉच दल गठित किया जाता है।

सरल क.	अधिकारी का नाम	पद
1	श्री राजीव समाधिया	अनुविभागीय,अधिकारी घाटीगांव– 7747005151
2	श्री मनोज कुमार जाटव	अनुविभागीय,अधिकारी,फोरेस्ट 9752816765
3	श्री रविनंदन तिवारी	अधीक्षक भू–अभिलेख–9827083675

अतः उपरोक्तानुसार संयुक्त जॉच दल ग्राम घाटीगांव नयापुरा,कांसेर,करई,आरोन,पवा,बन्हेरी की शिकायत की विस्तृत जॉच कर संयुक्त जांच प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमंत सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को 07 दिवस में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगे।

संलग्न–यथोपरि

(कलेक्टर महोदया द्वारा आदेशित)

अपर कलेक्टर
जिला–ग्वालियर

143
02/8/2024

<u>प्रतिलिपीः–</u>

1– आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर की ओर सादर सूचनार्थ।

2– वन मण्डलाधिकारी,सामान्य वन मंण्डल जिला ग्वालियर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3– तहसीलदार तहसील घाटीगांव जिला ग्वालियर की ओर आवश्यक कार्यवही हेतु।

4– निज सहायक माननीय विधायक विधानसभा–18 भितरवार जिला ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।

अपर कलेक्टर
जिला–ग्वालियर

अनुभाग अधिकारी
वन विभाग (कक्ष-3)
म.प्र. शासन मंत्रालय, भोपाल

विधानसभा सत्र दिसम्बर 2024
तारांकित प्रश्न क्रमांक–1612 द्वारा श्री मोहन सिंह राठौर
उत्तरांश 'ख' की जानकारी का ~~परिशिष्ट-तीन~~ परिशिष्ट-दो

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घाटीगांव, जिला ग्वालियर

क्रमांक /85 दिनांक 21 / 10 / 2024

प्रति,

कलेक्टर
जिला ग्वालियर

विषयः– ग्राम घाटीगांव, नयापुरा, कॉसेंर, करही, आरोन, पवा, बन्हैरी के आदिवासियों के वन भूमि पर पटट्ों की जॉच एवं वस्तु स्थिति की जॉच बावत्।

संदर्भः– आपका आदेश कमांक/क्यू./अपर कले./स्टेनों/2024–143 ग्वालियर दिनांक 02 अगस्त 2024

---------000---------

संदर्भित आदेश के पालन में गठित दल माननीय विधायक विधान सभा–18 के साथ दिनांक 11.10.2024 को ग्राम कॉसेंर गये। ग्राम के आदिवासियों के साथ वन अधिकार पटट्ों के स्थल पर गये। ग्राम कॉसेंर में आदिवासियों को 64 वन अधिकार पटट्े प्रदाय किये गयें है। वन अधिकार पटट्ों की मौके पर जॉच पटट्ों पर दर्शित निर्देशांकों से निर्मित के.एम.एल. फाईल से की गई। जिन पटट्ेधारियों को शिकायत थी, मौके पर भ्रमण कर देखा, कि केवल एक पटट्ाधारी रतना आदिवासी के पटट्े की भूमि पर माह मई 2024 में वन विभाग के निचले अमले द्वारा अनविज्ञता से गडड्े किये थे, लेकिन जैसे ही इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई, पटट्ाधारी श्री रतना आदिवास की पटट्े की भूमि यथा–स्थिति छोड़ दी थी। वर्तमान में भी उक्त पटट्े की भूमि पर किसी प्रकार का कोई वृक्षारोपण नहीं है। पटट्े की भूमि को छोड़कर अन्य स्थल पर वृक्षारोपण किया गया है।

इसके साथ ही लक्ष्मण आदिवासी द्वारा भी शिकायत की गई कि उनकी भूमि पर भी वृक्षारोपण किया गया है। जिसकी जॉच मौके पर की गई, तो जिस भूमि पर वृक्षारोपण किया गया है, वह लक्ष्मण आदिवास के पटट्े की भूमि से अलग है। लक्ष्मण आदिवासी का पटट्ा रतना आदिवासी के पश्चिम में पाया गया। (के.एम.एल. फाईल से) जो अभी रिक्त है, इसके साथ ही लक्ष्मण आदिवासी द्वारा वृक्षारोपण से लगे क्षेत्र में भी खेती हेतु जुताई की गई है, जो लगभग 2.5 हैक्टेयर है (पटट्े के रकवा 1.5 हैक्टेयर से भी अधिक है)।

एक अन्य स्थल पर शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि इस स्थल पर वन विभाग द्वारा गडड्े किये गये थे, उक्त स्थल पर टीम द्वारा मौका निरीक्षण किया गया, लेकिन वहॉ किसी प्रकार के कोई गडड्े नहीं पाये गये। उक्त स्थल पर जुता हुआ खेत पाया गया। के.एम.एल. फाईल से जॉच करने पर उक्त जुते हुये खेत पर कोई पटट्ा नहीं है। शिकायतकर्ता का पटट्ा अन्य स्थल पर है, और वह दूसरे स्थल पर खेती कर रहा है। इस स्थल पर भी कोई वृक्षारोपण/गडड्े नहीं पाये गये।

इसके साथ ही माननीय विधायक के साथ जॉच टीम घाटीगावं के नयापुरा गये, यहॉ आदिवासियों द्वारा पटट्े दिखाये गये। लगभग 22 पटट्े नयापुरा में दिये गये। (वन अधिकार पटट्े) इस क्षेत्र में वर्ष 1975 से संबंधित पटट्ेधारियो को राजस्व विभाग द्वारा 12 बीघा प्रति व्यक्ति के पटट्े जारी किये गये है। अतः वन अधिकार पटट्े किसी व्यक्ति को

21-11-24

01.000 हैक्टेयर, किसी को 0.247 हैक्टेयर (अलग अलग रकवा)इत्यादि के दिये गयें है। अतः सभी आदिवासियों की मांग है कि उन्हें 12 बीघा जो वर्ष 1975 के पटट्े में है, उसी अनुसार वन अधिकार पटट्ा प्रदाय किया जाये। चूंकि आदिवासियों के पास अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर सभी 1975 के पटट्ेधारियों को उनके पुराने पटट्े के आधार पर ही पटट्े का रकवा प्रदाय किया जाना उचित होगा।

उपरोक्त 02 ग्रामों का जॉच प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। शेष 04 ग्रामों के पटट्ों की जॉच माननीय विधायक जी द्वारा समय प्रदान करने पर जॉच कर, प्रतिवेदन प्रेषित किया जायेगा।

(रविनंदन तिवारी)
अधीक्षक
भू–अभिलेख जिला ग्वालियर

(मनोज कुमार जादव)
उप वनमण्डलाधिकारी
घाटीगावं

(राजीव समाधिया)
अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) घाटीगांव, ग्वालियर

अनुभाग अधिकारी
वन विभाग (कक्ष-3)
म.प्र. शासन मंत्रालय, भोपाल